कार्यालय उपखण्ड अधिकारी भीण्डर, जिला – उदयपुर

पीठासीन अधिकारी : श्री रमेश सीरवी पुनाड़ियां R.A.S.

GCMS संख्या 2022/290

प्रकरण संख्या 150/22

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 भू. राजस्व अधिनियम 1956

अनवान

श्री मोहनसिंह बनाम राज्य सरकार

– : : निर्णय : : –

दिनांक :–08.09.2022

1. प्रार्थी श्री मोहनसिंह पिता तख्तसिंह जाति राजपूत द्वारा तहसीलदार भीण्डर के समक्ष प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 के तहत प्रस्तुत किया गया। तहसीलदार भीण्डर द्वारा जांच कर बाद जांच पेश करने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रकरण में तहसीलदार भीण्डर की रिपोर्ट इस प्रकार है कि राजस्व ग्राम फौजवडली, पटवार मण्डल चारगदिया जमाबंदी संवत् 2050–53 के खाता संख्या 64 में आराजी किता 2 रकबा 4 बीघा 10 बिस्वा में खातेदार मनोहरसिंह पिता तखतसिंह राजपूत दर्ज रेकर्ड है। उक्त नाम नामांतरण से दर्ज हुआ है। विरासती नामांतरण में मनोहरसिंह पिता तखतसिंह दर्ज है। प्रार्थी द्वारा यह अंकित किया है कि उसका वास्तविक नाम मनोहरसिंह न होकर मोहनसिंह है। साक्ष्य की पुष्टि में ग्राम पंचायत चारगदिया की रिपोर्ट, सर्विस रोल, आधार कार्ड, शपथ पत्र, मतदाता पहचान पत्र पेश किया है। अतः प्रार्थी द्वारा यह साबित किया जाता है की उसका वास्तविक नाम मोहनसिंह है तो इस कार्यालय को कोई आपत्ति नही है।

2. हमने पत्रावली का अवलोकन किया। दस्तावेज का अध्ययन किया। प्रार्थी की बहस को सुना। प्रार्थी द्वारा अपनी बहस में प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराया व प्रार्थना पत्र को स्वीकार किये जाने का निवेदन किया। हमने प्रार्थी की बहस पर मनन किया। प्रार्थी के कथनानुसार राजस्व ग्राम फौजवडली पटवार हल्का चारगदिया की जमाबंदी संवत् 2050–53 के खाता संख्या 64 में प्रार्थी का नाम मनोहरसिंह पिता तखतसिंह जाति राजपूत अंकित है जबकि प्रार्थी का वास्तविक नाम मोहनसिंह पिता [illegible] संशोधित किये जाने का निवेदन किया। प्रकरण में तहसीलदार भीण्ड[illegible] से यह पाया कि खाता संख्या 64 में आराजी किता 2 रकबा 4 बीघा [illegible] मनोहरसिंह पिता तखतसिंह राजपूत दर्ज रिकार्ड है। उक्त नाम नामांतरण से दर्ज हुआ है तथा प्रार्थी द्वारा सा[illegible] जाने के बाद संशोधन पर कोई आपत्ति नही जताई। प्रार्थी द्वारा अपने प्रार्थना पत्र के समर्थन में कार्यालय ग्राम पंचायत चारगदिया का प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जिससे प्रार्थी का नाम मनोहरसिंह के बजाय मोहनसिंह शुद्ध किये जाने की अनुशंषा की। प्रार्थी द्वारा अपने प्रार्थना

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2022.10.17 12:57:43 IST
Reason: SelfAttested

पत्र के समर्थन से शपथ पत्र, आधार कार्ड, पहचान पत्र, विद्युत बिल, सर्विस रोल, बैंक बुक, पेन कार्ड की प्रति पेश की गई जिसमें प्रार्थी का नाम मोहनसिंह पिता तख्तसिंह ... है।

3. अतः उपरोक्त विवेचन व प्रार्थी द्वारा पेश दस्तावेज, शपथ पत्र, आधार कार्ड, पहचान ... विद्युत बिल, सर्विस रोल, ग्राम पंचायत चारगदिया का प्रमाण पत्र व अनुशंषा के आधार पर सिद्ध होता है कि प्रार्थी का वास्तविक नाम मोहनसिंह पिता तख्तसिंह है। नामांतरण कार्यवाही में प्रार्थी द्वारा त्रुटि से गलत नाम अंकित किये जाने से प्रार्थी का नाम विरासत मनोहरसिंह दर्ज हो गया है जिसे न्यायहित में सुधारा जाना आवश्यक है। अतः प्रार्थी ... प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य पाया जाता है।

— : : आदेश : : —

परिणामस्वरूप प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम ... का स्वीकार किया जाता है कि मौजा फौजवडली पटवार हल्का चारगदिया, भू अभिलेख निरिक्षक भीण्डर, तहसील भीण्डर कि जमाबंदी संवत् 2050–53 में खाता संख्या 64 में प्रार्थी ... मनोहरसिंह पिता तखतसिंह के बजाय मोहनसिंह पिता तख्तसिंह संशोधित किये जाने के ओदश दिये जाते है। पालना हेतु तहसीलदार भीण्डर को लिखा जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय खुले ईजलास आज दिनांक 08.09.2022 को सुनाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2022.10.17 12:57:43 IST
Reason: SelfAttested